



झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghw@rediffmail.com

पत्रांक :

दिनांक:

सेवा में,

श्री रामचन्द्र मेहता,
मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी,
ग्राम – बिगहा, पो0–फुलबेरिया,
थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा,
झारखण्ड, पिन– 825418

विषय:– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे० वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में स्थलीय निरीक्षण के कम में पायी गई त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 5808 दिनांक 20.10.2016

महाशय,

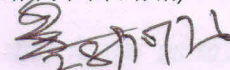
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है आज दिनांक 26.10.2016 को विषयोक्त परियोजना के प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के कम में स्थल पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गई हैं, जो निम्नवत् हैं:–

1. आपके द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट बाउन्ड्री पर लगाये गये पीलरस के स्थलीय निरीक्षण के कम में पाया गया कि प्रस्तावित स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के दक्षिणी भू-भाग मौजा कांटी वन क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें सीमांकन कर आपके द्वारा पीलर स्थापित किया गया है। दिनांक 27.10.2016 को प्रमण्डल के अमीन निरीक्षक से उक्त के संबंध में स्थलीय सर्वे जाँच कराया गया, जिसमें आपके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निरीक्षण में पाया गया कि आपके द्वारा प्रस्ताव में दक्षिण की ओर प्रस्तावित अपयोजित वनभूमि में पीलर संख्या BP 1, BP 19, BP18, BP17, BP16, BP14 एवं BP13 को मौजा करमा के वन में स्थापित नहीं कर, मौजा कांटी, जो कोडरमा वन प्रमण्डल के क्षेत्राधीन पडता है, में स्थापित किया गया है। विदित हो कि आपके द्वारा मौजा कांटी में लोकेशन दर्शाते हुए ग्राम मानचित्र एवं अन्य संबंधित अभिलेख समर्पित नहीं किया गया है।

2. स्थलीय निरीक्षण के कम में यह भी पाया गया कि आपके द्वारा स्थापित पीलरस भी काफी दूरी पर स्थापित किये गये हैं, जिससे कि माईनिंग बाउण्ड्री का सर्वेक्षण यथा जाँच करने में काफी कठिनाई हुई एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में आपको अनुरोध किया जाता है कि 50-50 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित माईनिंग लीज क्षेत्र की सीमा रेखा पर अस्थाई पीलरस स्थापित करें।

अतः उपरोक्त इंगित त्रुटियों के आलोक में प्रस्ताव आपको मूल रूप में समर्पित आठ-आठ प्रतियों में वापस करते हुए निदेशित किया जाता है कि वांछित सुधार कर संशोधित प्रस्ताव एवं अभिलेख ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

आपका विश्वासी,


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल
28/1/16